कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकःआर–26/जे0डी0/लखनऊ–15(गौ0नगर)/182 दिनांकःअप्रैल 28 2015,

सेवा मे,

महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स फ्यूचर वर्ल्ड ग्रीन होम्स प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–16 ई0, सेक्टर–01, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

यूआईडीः 2015/9099/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/1636/जेडी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–3 ग्रेटर नौएडा से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांकः 24–04–2015 का मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध कराई गई उनके द्वारा प्रस्तुत आख्याओ एवं अभिलेखो का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्याओं को अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया गया पत्रावली का परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः– प्लाट एरिया–32,000.00 वर्ग मी0 है, जिसमे पूर्व का प्लाट एरिया 22,000 वर्ग मी0 मे 06 टावर प्रस्तावित किये गये थे, वर्तमान मे प्लाट एरिया–22,000 वर्ग मी0 से 32,000 वर्ग मी0 किया गया है, प्रस्तावित टावरो का एरिया विवरण निम्नवत हैः–

क्रमांक	नाम टावर	संख्या	कुल तलो की संख्या	पूर्व/ नये	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0		ऊँचाई मीटर मे
1	टावर–ए0	01	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/पी एवं 22 तल	नये	589.66	–	70.60
2	टावर–बी	01	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/पी एवं 22 तल	नये	594.67	–	70.60
3	टावर–सी	01	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/पी एवं 22 तल	नये	581.98	–	70.60
4	टावर–जैड	01	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/पी एवं 01 तल	नये	465.23	–	07.60
5	टावर–डी0	01	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/पी एवं 04 तल	पूर्व	425.66	668.49	16.60
6	टावर–ई0	01	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/पी एवं 04 तल	पूर्व	425.66	510.26	16.60
7	टावर–एफ	01	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/पी एवं 22 तल	पूर्व	425.66	593.04	70.60
8	टावर–जी0	01	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/पी एवं 22 तल	पूर्व	608.08	835.06	70.60
9	टावर–एच0	01	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/पी एवं 22 तल	पूर्व	608.08	835.06	70.60
10	टावर–आई	01	बेसमेन्ट, स्टिल्ट/पी एवं 22 तल	पूर्व	608.08	835.06	70.60

कामर्शियल एरिया– भूतल कवर्ड एरिया 637.37 वर्ग मी0, एवं प्रथम तथा द्वितीय तल कवर्ड एरिया–120.71 वर्ग मी0 प्रत्येक।

बेसमेन्ट एरिया– वर्तमान मे प्रस्तावित बेसमेन्ट एरिया–17,180.73 वर्ग मी0, बसेमेन्ट की छत की लोड बियरिंग क्षमता 45 टन के कम किसी भी दशा मे अनुमन्य नही होगी। बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 के अनुसार कराया जाना अनिवार्य है।

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवासीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 24 मी0 का रोड है प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौडाई 06 मीटर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2– सैटबेकः– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–15.00 मी0।
बी0–पृष्ठ भाग–09.00 मी0।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3– निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है जिनकी चौडाई 1.50 एवं 1.25 मी0 प्रस्तावित है, बेसमेन्ट मे 02 अतिरिक्त रैम्प है जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा

4–रिफ्यूज एरियाः– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

28/4

1–भूमिगतः– प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पसः– भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–टेरिस टैंकः प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–टेरिस पम्पः प्रश्नगत भवन शापिंग एवं कम्यूनिटी टावर की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एल0पी0एम0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–होजरील मय डाउनकामरः– प्रस्तावित भवन प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एवं फायर सर्विस इन्लेट एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–यार्ड हाईड्रेण्टसः– प्रस्तावित भवन रिंग लाइन उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टमः–समस्त टावरो मे आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

12–स्मोक एक्स्ट्रेंक्शनः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–हैलीपैडः– प्रश्नगत भवन मे हैलीपैड एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय

15–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

16–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/ स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

17–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 के प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8 एवं सी–9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

18–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुयें जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स फ्यूचर वर्ल्ड ग्रीन होम्स प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–16 ई0, सेक्टर–01, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
फायर स0उ0प्र0 लखनऊ।
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक–3 ग्रेटर नौएडा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4– मैसर्स फ्यूचर वर्ल्ड ग्रीन होम्स प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–16 ई0, सेक्टर–01, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।